FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं SDO मुकाम बाप

ग्राभाराम बनाम दलना राम वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 348 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/12/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/12/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बाप	
14/12/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील हस्ब तामील अप्राप्त / प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थी संख्या -1 श्री [illegible] सूचना व आगामी सुझाव रेकर्ड पर लेने मय संशोधित शीर्षक पेश किया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 27/12/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बाप	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:26 IST
Reason: SelfAttested

तारीख	कार्यवाही	
27/12/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। ~~विप्रार्थीगणों~~ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक- 08/02/2022 को पेश हो।	...ब हुक्म
	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
08/02/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनु०। प्रार्थी वकील बहस फाईल करना चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली फाईल दिनांक 16/02/2022 को पेश हो।	16/02/2022
	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:26 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/02/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी को अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत सेठा-सेठ आये हुए हैं। खेतों के मध्य जो पुरानी मांठे व कणे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जिससे खेत के सेठो को लेकर प्रार्थी ~~को~~ व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेठो का सही ज्ञान कराने हेतु मेखमबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का मेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर मेखमबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का मेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की मेखमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क-नामा जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त [illegible] पत्रावली हो, पत्रावली फैसल [illegible] दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 37

दिनांकः– 16/02/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गोमाराम पुत्र खेमाराम जाति जाट, निवासी नौसर, पटवार मण्डल नौसर, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. रतनाराम पुत्र लालाराम वगैरा 11, जाति जाट, निवासी चक चारणोत, पटवार मण्डल नौसर, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 348 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – उदरियासरा, पटवार हल्का – नौसर, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 104 रकबा 110.08 बीघा व मौजा – डोगियालों की ढाणी, पटवार हल्का – बोड़वा, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत ख. नं. 576, 577, 579 रकबा क्रमशः 0.03, 104.10, 08.01 बीघा व मौजा –सिहंड़ों की ढाणी, पटवार हल्का – सेवनियाला, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 52, 62, 69, 70, 78 रकबा क्रमशः 79.02, 107, 00.06, 66.07, 56.16 बीघा व व मौजा –करणीपुरा चक चारणोत, पटवार हल्का –नौसर, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 15 रकबा 53.03 बीघा भूमि भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 38-42

दिनांकः– 16/02/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का नौसर, बोड़वा, सेवनियाला व [illegible] है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही [illegible] करावें।
3. प्रार्थी श्री गोमाराम पुत्र खेमाराम
4. विप्रार्थी श्री रतनाराम पुत्र लालाराम वगैरा 11
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु